Web copy not official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1071/2026

संजय दास उर्फ संजय कुमार बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड सं0—54/2024

अधीन धारा—406, 420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0।

15.05.2026 हाजीपुर सदर थाना कांड सं0—54/2024, भारतीय दण्ड संहिता की धारा— 406, 420, 467, 468, 471 में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **संजय दास उर्फ संजय कुमार उम्र—40 वर्ष पेसर—शनातन दास,** साकिन—दिघी काला, थाना—हाजीपुर सदर, जिला—वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेश्वर सिंह** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, सूचक का जमीन मौजा दौलतपुर देवरिया थाना नंबर 101, अंचल—हाजीपुर, जिला—वैशाली स्थित खात नं0—362, खेसरा सं0—703, रकवा—एक एकड़ 24½ डी0 है जिसे सूचक के परदादा हरिनंदन प्रसाद सिंह ने दिनांक—12.03.2011 को उसे अतायनामा कर दिया। उसके बाद सूचक उक्त जमीन का दाखिल खारिज कराकर बिहार सरकार को को मालगुजारी देकर रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। उक्त जमीन पर सूचक का आवास, दो गोदाम एवं चोरों तरफ चार दिवारी किया हुआ है। उक्त जमीन में से 106 डिसमील जमीन को दिनांक—18.12.2023 को आपस में षड्यंत्र रचकर छल व जालसाजी करके एक जाल फरेबी केवाला बनाकर अभिषेक कुमार मिश्रा ने अरविन्द कुमार, प्रमिला देवी, गुंजन कुमारी एवं सौरभ कुमार को रजिस्ट्री कर दिया। उक्त केवाला दिनांक—18.12.2023 पर पहचान सत्येन्द्र कुमार एवं विजय कुमार मिश्रा एवं संजय दास गवाह है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा—406, 420, 467, 468, 471 का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक उक्त केवाला पर केवल गवाह है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले के सह अभियुक्त सत्येन्द्र

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1071/2026

संजय दास उर्फ संजय कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

15.05.2025 कुमार को नियमित जमानत आवेदन सं0—1020/2024 में पारित आदेश दिनांक—06.07.2024 से एवं सह अभियुक्तगण प्रमिला देवी, अरविन्द कुमार, गुंजन कुमारी एवं सौरभ कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0—2144/2024 में पारित आदेश दिनांक—12.12.2024 से इस न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और आवेदक का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्तों के मामले के समान है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए निवेदित किये है कि आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर साजिश कर कथित दस्तावेज तैयार कर सूचक को धोखा देने का आरोप है और ऐसा व्यक्ति जमानत के लाभ पाने के हकदार नहीं है। निवेदित है आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी अनुसार आवेदक पर आरोप है कि अरविन्द कुमार, प्रमिला देवी, गुंजन कुमारी एवं सौरभ कुमार के पक्ष में निष्पादित निबंधित केवाला दिनांक—18.12.2023 में गवाह है। कांड दैनिकी की कण्डिका 05, 06 एवं 07 में साक्षियों का बयान अंकित है, उक्त बयान के अवलोकन से यह विदित होता है कि, यह मामला दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार को नियमित जमानत आवेदन सं0—1020/2024 में पारित आदेश दिनांक—06.07.2024 से एवं सह अभियुक्तगण प्रमिला देवी, अरविन्द कुमार, गुंजन कुमारी एवं सौरभ कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0—2144/2024 में पारित आदेश दिनांक—12.12.2024 से इस न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और आवेदक का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्तों के मामले से अच्छे धरातल पर है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1071/2026

संजय दास उर्फ संजय कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

15.05.2025 सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म—समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000/—(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा—482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not official